रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935
No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2013

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर अधिरोपित निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/1009/2012-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पचात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ (जिसे पतद्पश्चात ई यू अथवा संबद्ध भू-भाग कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश की थी। प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम, अंतिम जांच परिणाम और संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमश: दिनांक 1.02.2002, 28.10.2002 और 24.03.2005 को प्रकाशित की गई थी। जांच परिणामों तथा संशोधन के आधार पर राजस्व विभाग की दिनांक 28.3.2002 की अधिसूचना सं. 34/2002-सीमा शुल्क, 29.11.2002 की अधिसूचना सं. 132/2002-सीमाशुल्क और दिनांक 27.05.2005 की अधिसूचना सं. 51/2005-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध भू-भाग से आयातित संबद्ध वस्तु पर क्रमश: अनंतिम शुल्क, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क तथा संशोधित निश्चयात्मक शुल्क अधिरोपित किए गए थे।

2. और यतः, निर्णायक समीक्षा जांच संबंधी प्रावधानों के अनुसार, मै. दीपक नाइट्राइट लि., पुणे तथा मै. पंजाब कैमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लि., चंडीगढ़ ने ऐसी समीक्षा का अनुरोध करते हुए प्राधिकारी के समक्ष विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया था और प्राधिकारी ने लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की कार्रवाई की तथा यह निर्णय लिया कि पाटन तथा क्षति को समाप्त करने के लिए ऐसे शुल्क के अधिरोपण को जारी रखना अपेक्षित है क्योंकि शुल्क को समाप्त किए जाने अथवा उसकी मात्रा में परिवर्तन किए जाने अथवा दोनों की स्थिति में पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हुए दिनांक 3 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं.15/6/2006 (एसएसआर)-डीजीएडी के जरिए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए गए थे और राजस्व विभाग की दिनांक 11 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. 49/2008-सीमा शुल्क द्वारा संबद्ध भू-भाग से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

समीक्षा के लिए अनुरोध

3. यत: सीमा शुल्क प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले ही प्रतिसहार न कर दिया जाए तो अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति तक प्रभावी रहती है।

4. और उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकारी से अपेक्षित है, कि घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत रुप से साक्ष्यों सहित किए गए अनुरोध के आधार पर शुल्क की अवधि की समाप्ति की तारीख से पूर्व उचित समयावधि के भीतर, यह समीक्षा करे कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है।

5. और यतः, उपर्युक्त उपबंध के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व कर रहे मै. दीपक नाइराइट लिमिटेड, पुणे (जिन्हें एतद्पश्चात् आवेदक कहा गया है) ने विधिवत रुप से साक्ष्यांकित आवेदन के साथ प्राधिकारी से समीक्षा करने का अनुरोध किया है और प्रथमदृष्टया प्रमाण के आधार पर प्राधिकारी का विचार है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के लिए निर्णायक समीक्षा कार्यवाही की शुरुआत करना ऐसी जांच के लिए उपयुक्त होगा कि ऐसे शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता है या नहीं तथा यदि ऐसे शुल्क को हटाने अथवा इसमें परिवर्तन करने अथवा दोनों करने से क्षति के जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृति की संभावना होगी या नहीं।

<u>समीक्षा के आधार</u>

6. यह अनुरोध लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए है। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि यूरोपीय संघ से वस्तुओं के आयात पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन जारी है और घरेलू उद्योग यूरोपीय संघ से पाटन के कारण क्षति उठा रहा है

क्योंकि लागू पाटनरोधी शुल्क का प्रकार और मात्रा अपर्याप्त है। आवेदक ने इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया है कि यूरोपीय संघ के लिए इस शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना होगी तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचेगी।

7. आवेदक का यह दावा भी है कि पाटनरोधी शुल्क को रद्द करने से घरेलू उद्योग को भारी क्षति पहुंचेगी और अत: शुल्क को और पांच वर्षों तक जारी रखने की आवश्यकता है।

घरेलू उद्योग

8. यह आवेदन सम्बद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर में दीपक नाइराइट लि. पुणे द्वारा किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदक का संबंद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनता है जोकि 87% के बराबर है और अत: पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत वह घरेलू उद्योग है।

जांच शुरु करना

9. अत:, समीक्षा की आवश्यकता को समर्थन प्रदान करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होकर प्राधिकारी नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता तथा इस बात की समीक्षा करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एतद्द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

विचारधीन उत्पाद

10. निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि यह मूल जांच में परिभाषित किया गया था अर्थात अपने सभी रुपों में सोडियम नाइट्राइट यह एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण वर्तमान जांच में मूल जांच में कवर किया गया उत्पाद शामिल है। सोडियम नाइट्रेट एक अकार्वनिक रसायन है और एक आक्सीजइ जिंग एवं रिड्यूसिंग एजेंट हैं। यह मेषजीय उद्योग, रंजक उद्योग, लुब्रिकेंट, विनिर्माण रसायन, रबड़ ब्लोइंग एजेंट, ताप अंतरण लवण, मांस प्रसंस्करण, वस्त्र आदि में मुख्य रुप से उपयोग होने वाला सफेद क्राइस्टलिन पावडर है। यह उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 28.34.10 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी तरह से वाध्यकारी नहीं है।

प्रक्रिया

11. इस जांच में यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति

के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्कों का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क समाप्ति या उसमें परिवर्तन, दोनों ही, किए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) इस समीक्षा में दिनांक 3.3.2008 की अधिसूचना सं. 15/6/2006 (एसएसआर)-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होगे

(ii) इस समीक्षा जांच में शामिल क्षेत्र यूरोपीय संघ है।

(iii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अक्तूबर, 2011 से सितम्बर, 2012 है तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2009-मार्च, 2010, अप्रैल 2010-मार्च, 2011, अप्रैल 2011-मार्च, 2012 तथा पी ओ आई शामिल होगी।

(iv) उपर्युक्त नियमों के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

12. संबद्ध क्षेत्र के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिये उनकी सरकारों, भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उपोग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबध्द शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

13. कोई अन्य हितबध्द पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले प्रत्येक पक्षकार को यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय पाठ भी उपलब्ध कराएगा।

समय-सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में इस तरह भेजी जानी चाहिए कि वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिन) से अनधिक समय के भीतर पहुँच जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ सं. इत्यादि सहित) तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ सं. इत्यादि सहित) । प्रस्तुत की गई प्रत्येक सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिह्नित होना अनिवार्य है ।

17. किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को आगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबध्द पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति देने का अधिकार होगा । गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की पांच (5) प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

18. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए/ संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय साराँश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके । फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए ।

19. प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच पर गोपनीयता हेतु निवेदन को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु निवेदन प्राधिकृत नहीं है अथवा सूचना प्रदायक या तो सूचना सार्वजनिक करने को अनिच्छुक है या सामान्य अथवा संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत नहीं कर रहा है, तो वे इस तरह की सूचना की अवहेलना कर सकते हैं ।

20. सार्थक अगोपनीय रूपान्तर के बिना अथवा गोपनीयता की माँग के लिए उचित कारण का ब्यौरा दिए बिना किसी तरह का निवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा इसे स्वीकार करते हुए, इस तरह की सूचना प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसे किसी अन्य पार्टी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

21. पाटनरोधी अधिनियम के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

<u>असहयोग</u>

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2013

(Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset Review of the definitive anti-dumping duty imposed on imports of Sodium Nitrite originating in or exported from the European Union.

No. 15/1009/2012-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had recommended imposition of anti dumping duty on imports of Sodium Nitrite (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from the European Union (hereinafter referred to as EU or the subject territory). The preliminary findings, final findings and amendment notification of the Authority were published vide notifications dated 1.2.2002, 28.10.2002 and on 24.3.2005 respectively. On the basis of findings and amendment, provisional duty, definitive anti dumping duties and amended definitive duties on the subject goods imported from subject territory were imposed by the Department of Revenue vide notification Nos. 34/2002-Customs dated 28.3.2002; 132/2002-Customs dated 29.11.2002 and notification No.51/2005-customs dated 27.5.2005 respectively.

2. AND WHEERAS, in terms of the provisions for sunset review investigations, M/s Deepak Nitrite Ltd, Pune and M/s Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd., Chandigarh representing the Domestic Industry approached the Authority with a duly substantiated application requesting for such a review, and the Authority conducted the sunset review proceedings for the anti dumping duty in force and concluded that continued imposition of such duty was required to offset dumping and the injury, likely to continue or recur if the duty was revoked or varied or both. The Final Findings recommending for continuation of anti dumping duty were notified by the Authority on 3rd March 2008 vide notification no. 15/6/2006(SSR)-DGAD and definitive duties on the subject goods imported from subject territory were extended

by the Department of Revenue vide notification No. 49/2008-Customs dated 11th April 2008.

Request for Review

3. WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

4. AND notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. AND WEHERAS, in terms of the above provisions, M/s Deepak Nitrite Ltd, Pune (hereinafter referred to as the applicant) representing the Domestic Industry has approached the Authority with a duly substantiated application requesting for such a review, and the Authority on the basis of prime facie evidence considers that initiation of sunset review proceedings for the anti dumping duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied or both.

Grounds for review

6. The request is for continuation of the antidumping duties in force. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on import of the subject goods from European Union and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the EU as the form and quantum of anti dumping duty in force has been insufficient. The applicant has further argued that expiry of the measure against EU would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

7. The applicant also claims that revocation of anti-dumping measures would result in intensified injury to the domestic industry and, therefore, the duty is required to be continued for a further period of five years.

Domestic industry

8. The application has been filed by M/s Deepak Nitrite Ltd, Pune on behalf of the domestic producers of the subject goods. As per information available on record, the applicant accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods to

the tune of 87 % and, therefore, constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

Initiation

9. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Product under Consideration

10. Product under consideration in the sunset review is same as was defined in the original investigation, i.e., Sodium Nitrite in all its forms. This being a Sunset review, the present investigation covers the product covered in the original investigation. Sodium Nitrite is an inorganic chemical and is oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceuticals industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing, textiles etc. The product is classified under Customs Tariff heading 28.34.10 of the Customs Tariff Act. This classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Procedure

11. The investigation will determine as to whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

i). The review will cover all aspects of Notification No.15/6/2006(SSR)-DGAD dated 3.3.2008.
ii). The territory involved in this review investigation is the European Union.
iii). The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from October 2011 to September 2012. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2009–March 2010, April 2010-March 2011, April 2011-March 2012 and the POI.
iv). The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

12. The exporters in the subject territory, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

14. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within 40 days from the date of publication of this Notification.

Submission of information on confidential basis

16.In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets- (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

17. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any

such non-confidential information. Five (5) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

21. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Desinated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.